

:: महा निदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर :: आवश्यक

क्रमांक/रोसी 03A R O/परि 0/97-98/956-1055

दिनांक- 6.6.97

परिपत्र

विभिन्न संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया व अधिक कार्यभारों को प्रतिवेदन की पूर्ति करने/करवाते समय दो परेशानियां सामने आने पर उनका निम्नानुसार समाधान कर, समस्त प्रतिवेदक/समीक्षक अधिकारियों को इस परिपत्र के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है :-

1- परेशानी नम्बर-1।

प्रतिवेदक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर अध्या उक्त अवधि के दौरान पद रिफ्त होने की स्थिति में उनसे उच्च अधिकारी द्वारा टिप्पणी किये जाने पर समीक्षक टिप्पणी किस अधिकारी से प्राप्त की जाये ?

समाधान

सम्बन्धित जेल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन के भाग-1 एवं 1A में निम्न टिप्पणी अंकित करते हुये प्रमाणित करना है :-

" प्रतिवेदक टिप्पणी, उच्च अधिकारी के द्वारा दिये जाने पर समीक्षक टिप्पणी अंकित नहीं हुई है । "

" हस्ताक्षर जेल अधिकारी "

2- परेशानी नम्बर-2।

प्रतिवेदक अधिकारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर अध्या पद रिफ्त रहने की स्थिति में उनसे उच्च अधिकारी से पूर्ति करवाये जाने का प्रावधान है किन्तु वर्तमान में उच्च अधिकारी के भी कार्यरत सेवानिवृत्त/पद रिफ्त होने की स्थिति में नहीं होने पर प्रतिवेदन की पूर्ति कैसे करवाई जाये ?

समाधान

सम्बन्धित जेल अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन में निम्न टिप्पणी अंकित करते हुये प्रमाणित करना है :-

" प्रतिवेदक अधिकारी एवं उनसे उच्च अधिकारी की टिप्पणी, उनके राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त/पद रिफ्त होने पर प्राप्त करना संभव नहीं । "

" हस्ताक्षर जेल अधिकारी "

उक्त के संदर्भ में "पालनार्थ" समस्त प्रतिवेदन/समीक्षा अधिकारियों को जेल प्रभार अधिकारी द्वारा अपने कारागृह के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाये एवं साथ ही बकाया प्रतिवेदन जिनकी सूची समस्त कारागृह में उपलब्ध है, के शीघ्र पूर्ति किये जाने हेतु भी निर्देश दिये जायें ताकि चयनित वेतनमान प्रकरण एवं विभागों में पदोन्नति समिति की बैठक में अनावश्यक विलम्ब न हो।

34-02  
निदेशक एवं महा निरीक्षक  
कारागार राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक एवं प्रभार अधिकारी, केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजो।
- 2- प्राचार्य, कारागार प्राशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- 3- कार्यालयध्यक्ष, मुख्यतय कारागार राजो, जयपुर।
- 4- उपाधीक्षक कारागार प्राशिक्षण एवं अ. अ. कारागार मुख्यतय, कारागार राजो, जयपुर।
- 5- वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक एवं महा निरीक्षक कारागार राजो, जयपुर।
- 6- निजी सहायक, महा निरीक्षक कारागार राजो, जयपुर।
- 7- रक्षा पत्रावली।

34-02-5697  
निदेशक एवं महा निरीक्षक  
कारागार राजस्थान, जयपुर।

ससआर/5697/